



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

रायबरेली, उत्तर प्रदेश




प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन
2018-19



डॉ. हर्षवर्धन

माननीय कैबिनेट मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)



श्री अश्विनी कुमार चौधे

माननीय राज्यमंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

लक्ष्य और दूरदर्शिता

चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक संस्कृति से प्रभावित अनुसंधान, बीमार लोगों के प्रति करुणा और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई है।



एस, रायबरेली के प्रतीक चिन्ह के बारे में

- चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली दवा के अमृत प्रभाव का प्रतीक सर्प और कर्मचारी है जो बीमार लोगों को बचाने और राहत देने के लिए है।
- दो फड़फड़ते पंख सही निदान के संदर्भ में नेक चिकित्सकों की मानसिक दृढ़ता का संकेत देते हैं। चिकित्सक शारीरिक बीमारियों को दूर करने और मिटाने के लिए सही दवाओं की खोज में लगे हैं।
- गेहूं के फाहे और उत्सव मनाते लोग शांति, समृद्धि को दर्शाते हैं जिसको सुस्वास्थ्य के द्वारा लाया गया था।
- संस्कृत श्लोक "स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्" अर्थात् अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सभी उपक्रमों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और पहली आवश्यकता है।



अध्यक्ष संदेश

गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च चिकित्सा शिक्षा एक राष्ट्र की भलाई, विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। "एक स्वस्थ राष्ट्र एक धनी राष्ट्र है"। एक राष्ट्र तभी समृद्ध होता है जब उसके लोग स्वस्थ और खुश रहते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा महंगी हो गई है और अतिरिक्त चिकित्सा देखभाल हर साल हजारों परिवारों को गरीबी में धकेल देती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि भारत, एक विशाल देश, व्यापक उपलब्धता और समानता के साथ अपने लोगों को उच्च चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। उस चुनौती को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने देश में शीर्ष स्तर की चिकित्सा शिक्षा और उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में एम्स संस्थानों की स्थापना की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। एम्स, रायबरेली देश का सातवाँ ऐसा संस्थान है जो देश में स्थापित हो रहा है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित यह संस्थान हमारे समाज के एक बड़े हिस्से की सेवा करेगा और आने वाले समय में उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह देश के शीर्ष स्तरीय मेडिकल स्कूलों में मेडिकल सीटें बढ़ाने के द्वारा आकांक्षी डॉक्टरों को लाभान्वित करेगा। हालाँकि यह संस्थान वर्तमान में विकास के चरण में है, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आउट पेशेंट सेवाएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं और जुलाई 2019 सत्र से एम.बी.बी.एस. छात्रों का हमारा पहला बैच शुरू होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में यह संस्थान जल्द ही पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा और निकट भविष्य में विश्व स्तर की संस्था के रूप में विकसित होगा। मैं उन दोनों और भारत सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस संस्था के अध्यक्ष होने का सम्मान दिया। मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं उन सभी लोगों का जो इस संस्था की प्रगति में शामिल हैं, विशेष रूप से निदेशक प्रो० जगत राम जी और ओएसडी प्रो० बेहरा का उनके अथक प्रयासों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं उन फैकल्टी को भी धन्यवाद देता हूं जो आउट पेशेंट में रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। एम्स, रायबरेली के विकास में उनकी महत्वपूर्ण मदद के लिए यूपी की सरकार और उसका नेतृत्व सराहनीय है। इस संस्था के समय पर पूरा होने के लिए यूपी के लोगों को मेरी शुभकामनाएं ताकि यह सर्वोत्तम तरीके से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना शुरू करे।

जय हिन्द,
प्रमोद गर्ग


एम्स, रायबरेली का संस्थान निकाय

1	प्रो. प्रमोद गर्ग प्रोफेसर (गैस्ट्रोएंटरोलॉजी) एम्स, दिल्ली	अध्यक्ष
2	प्रो. एम.एल.बी. भट्ट कुलपति किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य
3	श्रीमति प्रीति सूडान, आई.ए.एस. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
4	डॉ. राजीव गर्ग महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार नई दिल्ली	सदस्य
5	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, आई.ए.एस मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य
6	प्रो. राकेश अग्रवाल निदेशक, जवाहरलाल न्यायकोठर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी	सदस्य
7	प्रो. पी. कर, पूर्व डीन, चिकित्सा विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
8	डॉ. एस.सी. शर्मा, प्रोफेसर एवं एच.ओ.डी. (ई.एन.टी.) एम्स, दिल्ली	सदस्य
9	डॉ. सिद्धार्थ रामजी, पूर्व डीन, मौलाना आजाद चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली	सदस्य
10	डॉ. पद्म श्रीवास्तव, प्रो. न्यूरोलॉजी, एम्स, दिल्ली	सदस्य
11	प्रो. जगत राम निदेशक, एम्स, रायबरेली	सदस्य, सचिव

अधिकारी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली



प्रशासनिक संगठन



निदेशक की कलम से



प्रो. डॉ. जगत राम
निदेशक

मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायबरेली, उत्तर प्रदेश की पहली वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अपार खुशी हो रही है।

सरकार ने अगस्त 2013 में एम्स, रायबरेली की स्थापना के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चरण -II के तहत विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया और 16 दिसंबर 2018 को अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास भी किया।

पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को एम्स, रायबरेली का संरक्षक संस्थान घोषित किया गया। रायबरेली ने वर्ष 2018 में संकाय की भर्ती-प्रक्रिया शुरू की और जुलाई 2018 में संकाय सदस्य संस्थान में शामिल हुए।

मुझे एम्स, रायबरेली के निदेशक का प्रभार दिया गया है और तब से हम एम्स, रायबरेली को इस देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले बेहतरीन संस्थानों में से एक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

संस्थान के बाह्य रोगी विभाग को 13 अगस्त 2018 को 5 संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ आरंभ किया गया। तत्पश्चात् 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ किया गया। एम्स, रायबरेली को एम्स, नई दिल्ली के बाद 7 वें एम्स होने का गौरव प्राप्त हुआ।

हमारा उद्देश्य एम्स, रायबरेली को चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। संकाय सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है।

एम्स, रायबरेली शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में लगातार बढ़ता रहेगा तथा देश और दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख मार्गदर्शक बनेगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश से हम संकाय, अवसंरचना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं।

मुझे वर्ष 2018-2019 के लिए एम्स, रायबरेली की इस वार्षिक प्रतिवेदन में संस्थान द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी हो रही है।

विशेष कार्य अधिकारी का संदेश



प्रो. डॉ. डी. बेहेरा


विशेष कार्य अधिकारी एम्स, रायबरेली
पूर्व अध्यक्ष (अनुसंधान), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

देश में गुणवत्ता वाले तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एम्स, रायबरेली सर्वोच्च स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक है। एम्स, रायबरेली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें उपचर्या और पराचिकित्सा प्रशिक्षण के साथ-साथ इसकी सभी शाखाओं और संबंधित क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा दोनों प्रदान की जाती है।

जब मैं वर्ष 2018 में विशेष कार्य (ओएसडी) पर एक अधिकारी के रूप में शामिल हुआ, तो संस्थान के कामकाज के लिए चरण निर्धारित किया गया था। शुरुआती दिनों में हड्डी रोग, सामान्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, ईएनटी, नेत्र रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे सात विभागों की ओपीडी शुरू की गई और औषधालय, एक्स-रे जांच और ईसीजी जैसी सेवाएं भी शुरू हुईं।

इस विनम्र शुरुआत के साथ हम आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।

चिकित्सा अधीक्षक का संदेश



प्रो. डॉ. अशोक कुमार

चिकित्सा अधीक्षक

एम्स, रायबरेली

एम्स, रायबरेली की पहली वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना मेरे लिए बेहद गौरव की बात है। यह प्रतिवेदन इस संस्थान की महत्वपूर्ण घटनाओं और दस्तावेज के लिए मील का पत्थर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली को फरवरी 2009 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.वाई.) के चरण-II के तहत 823 करोड़ रु. राशि के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने 148 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी। रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए 13 अगस्त 2013 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्स, रायबरेली की स्थापना के लिए जुलाई 2013 में केंद्र सरकार को पहले से सहमत 148 एकड़ भूमि में से 97 एकड़ भूमि को हस्तांतरित किया। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत शेष 51 एकड़ भूमि नियत समय में प्रदान किए जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने जुलाई 2013 में परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एम.एस. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को नियुक्त किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को एम्स, रायबरेली के संरक्षक संस्थान के रूप में नामित किया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली 2013 में पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।

सूची

1. अस्पताल और रखरखाव सेवा: -
 - 1.1 बाह्य रोगी सेवाएं
 - 1.2 विभाग के आधार पर संकाय सदस्य की सूची
 - 1.3 जीव रसायन विभाग
 - 1.4 दंत चिकित्सा विभाग
 - 1.5 ई.एन.टी. विभाग
 - 1.6 चिकित्सा विभाग
 - 1.7 प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
 - 1.8 नेत्र रोग विभाग
 - 1.9 हड्डी रोग विभाग
 - 1.10 शिशु रोग विभाग
 - 1.11 अन्य सेवाएं
 - अ. प्रशासन
 - आ. वित्त और लेखा
 - इ. नर्सिंग विभाग
 - ई. रेडियो नैदानिक विभाग
 - उ. अभियांत्रिकी विभाग
 - ऊ. औषधालय
 - ऋ. रिसेप्शन / चिकित्सा अभिलेख विभाग
 - ए. सुरक्षा और स्वच्छता सेवाएँ
 - ऐ. तस्वीर
2. वार्षिक खाता (वित्तीय वर्ष. 2018-19)
3. घटना और उत्सव की तस्वीर

बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवाएं

एम्स, रायबरेली को उत्तर प्रदेश के लोगों एवं उसके पड़ोसी राज्यों को विश्व स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु हमने पहले दिन से ही अपने प्रयास शुरू कर दिए। चिकित्सक और प्रशासनिक कर्मियों की टीम ने उत्तर प्रदेश के लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए।

13 अगस्त 2018 एम्स, रायबरेली के इतिहास में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार चिकित्सा अधीक्षक के साथ एम्स, रायबरेली के संकाय और प्रशासनिक सदस्यों ने ओपीडी परिसर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रार्थना किये और 13 अगस्त 2018 को ओपीडी सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

ओपीडी सेवाओं की पेशकश में सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, शिशु रोग, हड्डी रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, दंत चिकित्सा विभागों से संबंधित नैदानिक सेवाओं की पेशकश करने वाले विभिन्न विषयों के सलाहकार शामिल हैं। ओपीडी में आने वाले रोगियों की संख्या कुछ ही दिनों में 600 तक पहुंच गई, जो हमारी नैदानिक सेवाओं की सफलता के साथ-साथ एम्स, रायबरेली में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। जनता से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए ओपीडी सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं।

हम सभी को उम्मीद है कि ओपीडी सेवाओं के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और एम्स, रायबरेली की यात्रा में मील का पत्थर प्रदान करने के लिए किए गए वादे के पूरा होने की शुरुआत होती है।

अभी भी एम्स, रायबरेली में आईपीडी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के आधार पर संकाय सदस्य की सूची

- | | |
|---------------------|---|
| 1. जीव रसायन | डॉ. अंकित गुप्ता (सहायक आचार्य) |
| 2. दंत चिकित्सा | डॉ. शिवेश आचार्य (सहायक आचार्य) |
| 3. ई.एन.टी. | डॉ. अनन्या सोनी (सहायक आचार्य) |
| 4. सामान्य चिकित्सा | डॉ. प्रमोद कुमार (सहायक आचार्य) |
| 5. नेत्र रोग | डॉ. स्वराष्ट्र प्रकाश सिंह (सहायक आचार्य) |
| 6. हड्डी रोग | डॉ. गौरव कुमार उपाध्याय (सहायक आचार्य) |
| 7. शिशु रोग | डॉ. नमिता मिश्रा (सहायक आचार्य) |

जैव रसायन विभाग

संकाय

डॉ. अंकित गुप्ता

पदनाम

सहायक आचार्य

एम्स, रायबरेली में जैव रसायन विभाग एक सामान्य प्रयोगशाला के साथ 26 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था, जो इस विभाग के तहत जैव रसायन, रुधिर विज्ञान, सीरम विज्ञान और नैदानिक विकृति विज्ञान के क्षेत्र में कई जांच के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है।

प्रमुख क्षेत्र	जांच पड़ताल	परीक्षणों की कुल संख्या (लगभग)
जैव रसायन	रक्तशर्करा, एल.एफ.टी., के.एफ.टी., लिपिड प्रोफाइल, कैल्शियम	6919
रुधिर विज्ञान	सी.बी.सी., ई.एस.आर., रक्त समूह	4931
सीरम विज्ञान	वीडाल, आर.एफ., सी.आर.पी., एच.बी.एस.ए.जी., मलेरिया ए.जी.	1870
नैदानिक विकृति विज्ञान	मूत्र आर./ई.	1419
कुल योग		15139

डॉ. अंकित गुप्ता ने इस अवधि में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा रुधिर विज्ञान के जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया, जो कि एम्स, रायबरेली में किए गए अध्ययन पर आधारित है। डॉ. अंकित गुप्ता ने इस विभाग में गुणवत्ता अनुसंधान वातावरण स्थापित करने के लिए इस अवधि में सफलतापूर्वक दो शोध अनुदान पुरस्कार (एक डीएचआर से तथा दूसरा भारत और एसईआरबी से) प्राप्त किए हैं।

दंत चिकित्सा विभाग

संकाय
डॉ. शिवेश आचार्य

पदनाम
सहायक आचार्य

विभागीय आँकड़े:

कुल मरीज = 4175 (पुरुष 2262, महिला 1913)

रोगी की देखभाल

ओपीडी में विभिन्न प्रकार के दंत चिकित्सा उपचार

1.	रुट कैनल उपचार	192
2.	पुनर्स्थापन और सीलेंट	110
3.	मौखिक प्रोफिलैक्सिस	182
4.	निष्कर्षण	434
5.	आईओपीए रेडियोग्राफ	490

दंत रोगियों को चिकित्सकीय प्रदर्शन और आहार संशोधन के रूप में मौखिक स्वच्छता और मुख स्वास्थ्य से संबंधित प्राथमिक निवारक शिक्षा प्रदान की गई, जिन्होंने ओपीडी का दौरा किया।

शैक्षणिक और अनुसंधान: विभाग में पूर्वव्यापी अध्ययन किया गया था, जो एम्स, रायबरेली के दंत विभाग में आने वाले रोगियों के मुख स्वास्थ्य से संबंधित था और यह दिसंबर 2018 में चिकित्सा और दंत विज्ञान अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

डॉ. शिवेश आचार्य ने 8-10 मार्च 2018 के बीच चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय रूढिवादी दंत चिकित्सा एंडोडॉटिक्स (आईएसीडीई) वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया तथा दांतों में एमटीए एपेक्सिफिकेशन के विकल्प के रूप में पुनरोद्धार पर एक विज्ञापन प्रस्तुत किया।

ई.एन.टी. विभाग

संकाय

डॉ. अनन्या सोनी

पदनाम

सहायक आचार्य

सांख्यिकी:

कुल रोगी – 4175

पुरुष – 2262

महिला – 1913

माइनर ओ.टी. – 2

शैक्षणिक –

डॉ. अनन्या सोनी ने जी.एस.भी.एम. मेडिकल कॉलेज कानपुर में आयोजित UPAICON 2018 में भाग लिया और शोध पत्र प्रस्तुति में जूनियर कंसल्टेंट पुरस्कार प्राप्त किया। सिर और गर्दन की भारतीय पत्रिका में रिसर्च पेपर मूल लेख के साथ शल्य - SINONASAL MUCORMYCOSIS 30 मामलों का एक वृश्य, जो प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया।

सामान्य चिकित्सा विभाग

संकाय

डॉ. प्रमोद कुमार

पदनाम

सहायक आचार्य

विभागीय आंकड़े:

कुल रोगी – 25010 (पुरुष-12899, महिला-12111)

पुराने रोगी – 9889 (पुरुष-4842, महिला-5047)

नये रोगी – 15121 (पुरुष-8057, महिला-7064)

रोगी की देखभाल:

1. इस अवधि के दौरान हमने विभिन्न रोगों जैसे- अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म, कार्डियोमायोपैथी, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग, सीओपीडी, ब्रोन्कियल अस्थमा और अन्य रोगों का उपचार ओपीडी में किया।
2. रोगियों के उपचार के दौरान हम मरीजों की देखभाल, उनकी संतुष्टि, शिक्षा आदि को लेकर अधिक सचेत थे।

शैक्षणिक और अनुसंधान:

रेट्रो स्पाई अध्ययन पर आधारित एक शोध पत्र रुधिर विज्ञान की पत्रिका में प्रकाशित की गई, जो पूरी तरह से एम्स, रायबरेली में किया गया।

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग

उपर्युक्त अवधि के दौरान, ओपीडी का प्रबंधन पीजीआई, चंडीगढ़ से आये सीनियर रेजीडेंट द्वारा किया गया।

विभागीय आँकड़े:

	कुल	नया	पुराना
कुल मामले में भाग लिया	1821	1191	630
प्रसूति विभाग	104	71	33
स्त्री रोग विभाग	1717	1120	597
गर्भनिरोधक सेवा			
छाया		10	
माला-एन		12	
निरोध		129	

सभी प्रसूति-पूर्व रोगियों को स्वस्थ आहार आदतों के बारे में परामर्श दिया गया, ताकि दैनिक भूषण की निगरानी की जा सके तथा गर्भावस्था की जटिलताओं की भविष्यवाणी करने और उन्हें रोकने के लिए संचलन की गिनती और अन्य खतरे का संकेत दिया गया। ओपीडी में आने वाली सभी महिलाओं को विभिन्न विकल्पों के साथ गर्भनिरोधक प्रदान किया गया।

नेत्र रोग विभाग

नेत्र रोग विभाग

संकाय

डॉ. स्वराष्ट्र प्रकाश सिंह

पदनाम

सहायक आचार्य

एम्स में ओपीडी सेवाओं (13 अगस्त 2018) की शुरुआत और 31 मार्च 2019 के बीच की अवधि में हमने नेत्र-रोग विभाग में रोगियों के नेत्र का पूरा इलाज किया।

नए मामले	4318
पुराने मामले	1540
पुरुष	3110
महिला	2748
कुल	5858

ये सभी रोगी पूर्वकाल खंड और पश्चकाल खंड के पूर्ण नेत्र परीक्षण से गुजरते हैं। निदान के आधार पर रोगियों की संख्या निम्नलिखित है-

अपवर्तन	3200
ग्लूकोमा	70
मोतियाबिंद	800
मधुमेह रेटिनोपैथी	500
स्ट्रैबिस्मस	150
टेरिजियम	300

इन सभी रोगियों का इलाज किया गया और तदनुसार अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित किया गया।

इस अवधि में नेत्र-रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. स्वराष्ट्र प्रकाश सिंह के साथ-साथ तकनीकी अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा भी शामिल थे।

उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण समुदाय में 50 साल से अधिक उम्र के वयस्कों में मोतियाबिंद के अनुसंधान परियोजनाएं उत्तर भारतीय आबादी में टेरिजियम के लिए व्यापकता और संबद्ध कारक इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च मार्च 2019 संस्करण मात्रा-9 में प्रकाशित किया गया था।

इसके अलावा सहायक प्रोफेसर डॉ. स्वराष्ट्र प्रकाश सिंह अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसायटी के सदस्य बने।

हड्डी रोग विभाग

संकाय

डॉ. गौरव कुमार उपाध्याय

पदनाम

सहायक आचार्य

हड्डी रोग विभाग में आने वाले रोगियों को दैनिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा रहा है। परामर्श के अलावा विभाग के द्वारा विभिन्न सुविधाएं जैसे कि प्लास्टर और विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर के लिए कास्ट एप्लीकेशन और मामूली प्रक्रियाओं के लिए इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

बाह्य रोगी विभाग	2018-19
नया	5875
पुराना	6062
पुरुष	5356
महिला	6581
कुल	11937
ड्रेसिंग	31
प्लास्टर / कास्ट एप्लीकेशन	10
इंट्राआर्टिकुलर / स्थानीय इंजेक्शन	11

हम जीवनशैली से जुड़े घुटने के दर्द और कम पीठ दर्द के रोगियों को संशोधनों और अभ्यास द्वारा अवगत कर रहे हैं, जो इष्टतम फंक्शन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शिशु रोग विभाग

संकाय

डॉ. नमिता मिश्रा

पदनाम

सहायक आचार्य

शिशु रोग विभाग बाह्य रोगी विभाग में आने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता और साक्ष्य आधारित देखभाल प्रदान कर रहा है। कई दुर्लभ और जटिल विकारों का उचित रूप से निदान किया गया है। उपचार के अलावा, माता-पिता / देखभाल करने वालों को बीमारी और बीमारी की रोकथाम के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।

ओपीडी सांख्यिकी प्रतिवेदन

नए मामले	पुराने मामले	कुल
1888	913	2801

डॉ. नमिता मिश्रा ने आईएपी पेड़िकॉन 2019 में भाग लिया और “ट्रीटमेंट गैप पर जोर देने के साथ उत्तर भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में बरामदगी वाले बच्चों की क्लिनिकल प्रोफाइल” पर अवलोकन अध्ययन विज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस समयावधि के दौरान उनके 8 प्रकाशन हैं और वर्तमान में दो अनुसंधान परियोजनाओं में मुख्य अन्वेषक के रूप में शामिल हैं।

प्रशासन

नाम	पदनाम
श्री समीर शुक्ला	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सामान्य प्रशासन में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मामले और संस्थान की स्थापना, सुरक्षा, संपत्ति मामले, भंडार, सतर्कता और सार्वजनिक संबंध शामिल हैं। कर्मचारी की नियुक्ति, समितियों की बैठक की व्यवस्था, प्रबंधन और कर्मचारी कल्याण सहित स्थापना अनुभाग और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की देखभाल एम्स, रायबरेली प्रशासन द्वारा की जाती है।

वित्त और लेखा

नाम	पदनाम
विशाल कुमार	लेखाधिकारी

वित्त और लेखा अनुभाग कम्प्यूटरीकृत लेखांकन वातावरण और इस संस्थान के पहले वित्तीय वर्ष के साथ स्थापित किया गया है। विभाग ने सरकार की गतिविधियों के लिए प्रारंभिक वित्तीय पंजीकरण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण को आकस्मिक आधार पर संकलित किया गया है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कार्यालय का लेखा परीक्षा किया है। वित्तीय विवरण और सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संस्थान की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदान जारी किया है।

डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए, नगदीकरण लेन-देन के लिए पी.ओ.एस. मशीनों को स्थापित किया गया है और सेवाओं की प्रभावशीलता और शीघ्र वितरण हेतु आई.टी. बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास किए गए हैं।

नर्सिंग विभाग

नाम	पदनाम
रवि बिश्नोई	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी

नर्सिंग विभाग का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक होता है। विभाग में 1 वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और 10 नर्सिंग अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

कर्मचारी विकास और शैक्षिक गतिविधियाँ

वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी की प्रमुख भूमिकाओं में से एक इसके अधीनस्थ स्टाफ सदस्य का व्यावसायिक विकास है। इसका उद्देश्य अपने सभी कर्मचारियों के कौशल, योग्यता, दक्षता और समग्र प्रदर्शन में सुधार करना है, जिसे सेवा शिक्षा और नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल परिचारकों की प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो बेहतर रोगी देखभाल प्रदान करने में मदद करता है।

अन्य:-

1. माइनर ओटी / प्रक्रिया कक्ष सफलतापूर्वक चल रहा है।
2. संक्रमण नियंत्रण अभ्यास और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य शिक्षण नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

रेडियो नैदानिक विभाग

रेडियो नैदानिक विभाग वर्तमान में रोगियों को एक्स-रे सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह 2 रेडियोग्राफर और 1 अस्पताल परिचर द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

कर्मचारी विकास और गतिविधियाँ:-

सभी विभागीय कर्मचारी सक्रिय रूप से रोगियों की जाँच में लगे हुए हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले रेडियोग्राफ़ प्रस्तुत कर रहे हैं। विभाग रेडियोग्राफ के लिए मेडिसिन, हड्डी रोग, ईएनटी, शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग जैसे अन्य विभागों से आने वाले मरीजों की जाँच करता है, जो बीमारी के उचित निदान में मदद करता है। जरूरत के आधार पर नियमित एक्स-रे किए जाते हैं। विभाग रेडियोग्राफ के लिए हाई फ्रीक्वेंसी 400 एम.ए. एलीग्रेन मार्स 30 मशीन से सुसज्जित है।

कुल जांच:-

23 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक ओपीडी में 3,132 एक्स-रे किए गए हैं।

अभियांत्रिकी विभाग

अभियांत्रिकी विभाग वर्तमान में एक अधीक्षक अभियंता (अतिरिक्त प्रभार) के नेतृत्व में है और एक सहायक अभियंता (विद्युत) और तीन कनिष्ठ अभियंता (विद्युत, सिविल, आरएसी) द्वारा जुड़ा हुआ है। अभियांत्रिकी विभाग को तीन आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए विधिवत समर्थन प्राप्त है।

अभियांत्रिकी विभाग विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

यहां दी जाने वाली सेवाओं में वातानुकूलन का संचालन और रखरखाव, विद्युत प्रणाली, अस्थायी ओपीडी और आवासीय ब्लॉक के निर्माण आदि सुविधाएं शामिल हैं।

एम्स, रायबरेली को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक अलग 11 के.वी.डेडीकेटेड फीडर उपलब्ध है।

औषधालय

नाम

1. श्री धरम पाल

2. श्री आलोक शुक्ला

पदनाम

फार्मेसिस्ट ग्रेड-2

फार्मेसिस्ट ग्रेड-2

कार्य:

औषधालय दवाओं और ड्रेसिंग सामग्री की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार है। अस्पताल के फार्मेसी ने अमृत फार्मेसी (एचएलएल लाइफकेटर लिमिटेड की एक इकाई) के साथ अनुबंध के माध्यम से अनुमोदित दवा की खरीद की व्यवस्था एम्स, रायबरेली के लिए की है। औषधालय विभिन्न विभागों के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की मुफ्त व्यवस्था के लिए रोगियों को अनुमोदित आवश्यक दवाएँ वितरित कर रही है।

आंकड़े (अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक)

कुल मरीजों की सेवा	लगभग 65000
कुल दवा लागत	रु. 5.85 लाख

रिसेप्शन/चिकित्सा अभिलेख विभाग

रिसेप्शन विभाग का नेतृत्व चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाता है। यहां एक रिसेप्शनिस्ट और पांच चिकित्सा अभिलेख कर्मचारी के द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा है।

कर्मचारी विकास और गतिविधियाँ:-

रिसेप्शन विभाग अस्पताल में आने वाले रोगियों के लिए संपर्क करने का पहला बिंदु है। हम पंजीकरण, जांच (मौखिक / टेलीफोनिक), परामर्श और विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए शुल्क एकत्र करके रोगी की सेवा करते हैं।

अन्य:-

- टोकन वितरण
- रोगी पंजीकरण 31 मार्च 2019 तक 58,059

सुरक्षा और स्वच्छता विभाग

सुरक्षा और स्वच्छता विभाग वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। यह कार्य को एक सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा देखा जाता है और विभिन्न विषयों में सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए एक आउटसोर्स पर्यवेक्षक और चौकी गार्ड तथा 12 स्वच्छता कार्यकर्ताओं द्वारा विधिवत समर्थन किया जा रहा है।

सुरक्षा और स्वच्छता विभाग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हैं और विभिन्न प्रकार के विस्तृत सेवाओं का समर्थन करता हैं।

यहां दी जाने वाली सेवाओं में भवन की सफाई का रख-रखाव, अस्थायी ओपीडी और आवासीय ब्लॉक की रखवाली शामिल हैं।

निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक और ओएसडी द्वारा वृक्षारोपण



हॉस्टल ब्लॉक की तस्वीर



निदेशक, डीडीए, एफए, ओएसडी के साथ अन्य कर्मचारियों की तस्वीर



कर्मचारियों की तस्वीर





लेखा-विवरण

2018-19



अधिकारी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
मुंशीगंज, डलमऊ रोड, रायबरेली – 229405

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 के अनुसार तुलन-पत्र

राशि (रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
समग्र / पूँजी निधि तथा देनदारी			
समग्र/ पूँजी निधि	13 - 1आ	37,18,983.00	-
संरक्षित और आधिक्य	2	1.00	-
निर्धारित/बंदोबस्ती / समग्र निधि	3	15,81,96,475.81	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	47,28,45,753.00	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देनदारी	6	-	-
चालू देनदारी और प्रावधान	7	1,36,81,162.00	-
कुल		64,84,42,374.81	-
परिसंपत्ति			
अचल परिसंपत्ति - शुद्ध खण्ड	8	39,50,24,032.00	-
निवेश - निर्धारित/ बंदोबस्ती कोष से	9	-	-
निवेश -अन्य	10	-	-
चालु परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	25,34,18,342.81	-
फुटकर खर्च- प्रासंगिक		-	-
कुल		64,84,42,374.81	-
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकस्मिक देनदारी और लेखों पर	25		
टिप्पणियाँ			
स्थान: रायबरेली			
दिनांक : 29/06/2019			
(विशाल कुमार) लेखाधिकारी	(कुमार अभय, आईएएस) वित्तीय सलाहकार	(प्रो. जगत राम) निदेशक	

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31-03-2019 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का लेखा

राशि (रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आय			
बिक्री / सेवा से आय	12	13,58,570.00	-
अनुदान / अर्थिक सहायता	13	5,26,84,541.19	-
शुल्क / अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निवेश से आय	15	-	-
धनराशि हस्तांतरित / अंतिम संचित निधि			
राजसी, प्रकाशन से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	16,82,261.00	-
अन्य आय	18	5,92,602.00	-
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी की वृद्धि / कमी	19	-	-
कुल (अ)		5,63,17,974.19	-
व्यय			
स्थापना व्यय	20	3,26,46,143.00	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	2,31,13,116.19	-
अनुदान, अर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल अनुसूची-8 के अनुरूप)		5,58,715.00	-
कुल (आ)		5,63,17,974.19	-
व्यय से अधिक आय का संतुलन होना	(अ-आ)	-	-
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य रिजर्व से / के लिए स्थानांतरण		-	-
शेष अधिशेष / (घाटा)			
समग्र / कैपिटल फंड में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	25		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां	26		

स्थान: रायबरेली

दिनांक : 29/06/2019

(विशाल कुमार)
लेखाधिकारी

(कुमार अभय, आईएएस)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. जगत राम)
निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)
वर्ष 01-04-18 से 31-03-2019 के लिए समेकित पावती और भुगतान

पावती	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	राशि (रुपये में)
	31.03.2019	31.03.2018		31.03.2019	31.03.2018	
उद्घाटन शेष राशि - संस्थान			संस्थान के खाते से व्यय			
नकद (हथ में)	-		प्रशासनिक व्यय			
बैंक शेष राशि	-		यात्रा का खर्च	3,52,633.00	-	
अनुदान (जीओआई) में सहायता- संस्थान खाता			यात्रा व्यय-सम्मेलन	94,185.00		
अनुदान में सहायता (वेतन के लिए)	12,00,00,000.00		विद्युत और बिजली बिल	1,59,503.00		
अनुदान में सहायता (सामान्य के लिए)	3,96,00,000.00		विद्युत और बिजली -डीजी सेट ईंधन	39,95,846.00		
अनुदान में सहायता (पूँजीगत संपत्ति के सृजन हेतु)	5,50,00,000.00		टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च	5,88,820.00		
पीजीआई चण्डीगढ़	3,04,19,000.00		छपाई और स्टेशनरी	23,32,174.00		
अन्य पावती संस्थान			वैधानिक पंजीकरण व्यय	3,04,638.00		
निविदा शुल्क	11,500.00		बायोमेडिकल अपशिष्ट व्यय	10,07,600.00		
पंजीकरण शुल्क और लैब टेस्ट शुल्क	13,58,570.00		आउटसोर्स मैनपावर	1,02,006.00		
जमानत पत्र	4,00,000.00		सामान्य उपभोग्य स्टोर	65,66,783.00		
गेस्ट हाउस का किराया	2,700.00		मरम्मत और रखरखाव (विद्युत)	1,500.00		
विविध आय	500.00		मरम्मत और रखरखाव (सिविल)	35,110.00		
बैंक से प्राप्त व्याज	44,017.00		डाक	2,21,915.00		
			विज्ञापन और प्रचार खर्च	2,008.00		
			संकाय और स्टाफ ईं की भर्ती	12,05,039.00		
			अन्य विविध	21,000.00		
			गेस्ट हाउस का खर्च	52,188.19		
			आईटी सॉफ्टवेयर और परिधीय	91,119.00		
			इग्स और ड्रेसिंग	1,24,201.00		
			एक्स-रे फिल्म्स	5,84,727.00		
			सर्जिकल अनुदान	4,28,702.00		
			रासायनिक अनुदान	1,84,815.00		
			कांच के बने बदार्थ/प्लास्टिक के बरतन	7,92,139.00		
			चिकित्सा गैंडों	66,156.00		
			कपड़े धोने और सीएसएसडी	24,780.00		
			अस्पताल का उपभोग्य	2,533.00		
				7,18,736.00		
			स्थापना व्यय			
			मजदूरी और वेतन	2,15,72,060.00		
			टीए / एलटीसी स्थानांतरण	1,05,006.00		
			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	84,020.00		
			अधिगम संसाधन भत्ता	6,32,898.00		
			निश्चित संपत्तियों पर खर्च			
			फर्नीचर और सिक्सचर	9,47,830.00		
			दफ्तर के उपकरण	6,78,067.00		
			वाहन	10,31,105.00		
			अस्पताल के उपकरण	1,60,171.00		
			कंप्यूटर सहायक उपकरण	14,34,819.00		
			क्रण भुगतान			
			पीजीआई चण्डीगढ़	3,04,19,000.00		
			संस्थान का समापन राशि			
			नकद			
			मुख्य खाता (एसबीआई-37836546058)	16,86,59,223.81		
			टीडीएस खाता (एसबीआई-38040069713)	51,231.00		
			केनरा बैंक एस्ट्रो खाता	10,00,000.00		
कुल	24,68,36,287.00	-		24,68,36,287.00	-	

स्थान: रायबरेली

दिनांक : 29/06/2019

(विशाल कुमार)
लेखाधिकारी

(कुमार अभ्यं,
आईएएस)
वित्तीय सलाहकार

(पौ. जगत राम)
निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के तुलन पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
<u>अनुसूची -1 अ कॉर्पस / पूँजी भंडार -</u> वर्ष की शुरुआत में शेष राशि समग्र / पूँजी भंडार का योगदान कम: मूल्यहास राशि स्थानांतरण अनुसूची.8 (एएस -12)	42,77,698.00	5,58,715.00	37,18,983.00	-
<u>अनुसूची -1 आ कॉर्पस / पूँजी भंडार -</u> वर्ष की शुरुआत में शेष राशि समग्र / पूँजी भंडार का योगदान जोड़ / (कमी): आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय / (व्यय) का संतुलन	-	0.00	-	-
माह के अंत में शेष राशि (कुल 1 अ से 1 आ)		37,18,983.00		-
<u>अनुसूची - 1सी पूँजी भंडार-परियोजना</u> प्रारंभिक शेष राशि महीने के दौरान कुल स्थानांतरण कम: मूल्यहास राशि स्थानांतरण अनुसूची-13 (एएस-12) के लिए	-	-	-	-
माह के अंत में शेष राशि (कुल 1सी)		-		-
कुल (1अ से 1सी)		37,18,983.00		-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)				
31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक आग के रूप में अनुसूची				
विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची-2 (रिजर्व और अतिरिक्त)				
1. संपत्ति कोष				
पिछले खाते के अनुसार				
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन (भूमि का नाममात्र मूल्य)	1.00			
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	1.00	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		1.00		-
2. आरक्षित पुनर्मूल्यांकन				
पिछले खाते के अनुसार				
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		-		-
3. विशेष रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार				
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		-		-
4. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार				
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		-		-
कुल (1 से 4)		1.00		-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

विवरण	चालू वर्ष		राशि (रुपये में)	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 3 निर्धारित/बदोबस्ती / समग्र निधि				
I. वेतन के लिए अनुदान में सहायता				
अ) कोष का बैलेस खोलना				
आ) निधि के अतिरिक्त:				
कम: वर्ष के दौरान स्थापना व्यय (अनुसूची-20)	12,00,00,000.00 -3,26,46,143.00	8,73,53,857.00		
II. सामान्य के लिए अनुदान में सहायता				
अ) कोष का बैलेस खोलना				
आ) जीआईए के खाते में धनराशि:				
इ) आंतरिक प्राप्ति / कमाई (अनुसूची 12+17+18)	3,96,00,000.00 36,33,433.00 -2,31,13,116.19	2,01,20,316.81		
कम: वर्ष के दौरान अस्पताल और प्रशासन का खर्च (अनुसूची. 21)				
III. पूँजी निर्माण के लिए अनुदान सहायता				
अ) कोष का बैलेस खोलना				
आ) निधि के अतिरिक्त:				
कम: वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय (अनुसूची- 8)	5,50,00,000.00 -42,77,698.00	5,07,22,302.00		
कुल (I+II+III)		15,81,96,475.81		

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची- 4 (सुरक्षित ऋण और उधार)				
1) केंद्र सरकार	-	-	-	-
2) राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3) वित्तीय संस्थाएं				
अ) सावधि ऋण (हेफा ऋण)	-	-	-	-
आ) ब्याज और देय	-	-	-	-
4) बैंक				
अ) अवधि ऋण	47,00,00,000.00		-	-
ब्याज देय	28,45,753.00		-	-
आ) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
ब्याज देय	-		-	-
5) अन्य संस्थानों और एजेंसियों			-	-
6) डिबंचर और बांड			-	-
7) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-	-
कुल		47,28,45,753.00		-
अनुसूची- 5 (असुरक्षित ऋण और उधार)				
1) केंद्र सरकार	-	-	-	-
2) राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3) वित्तीय संस्थाएं			-	-
4) बैंक			-	-
अ) अवधि ऋण	-	-	-	-
आ) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5) अन्य संस्थानों और एजेंसियों पीजीआई चण्डीगढ़			-	-
6) डिबंचर और बांड	-	-	-	-
7) निश्चित जमा	-	-	-	-
8) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		-	-	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

व्यापे	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 6 (स्थगित क्रेडिट देयताएं)				
अ) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृति				
आ) अन्य				
कुल				
अनुसूची - 7 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)				
A. वर्तमान देनदारियां				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध लेनदारः				
अ) सामान के लिये				
आ) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम				
4. अर्जित ब्याज, लेकिन इसके कारण नहीं:				
अ) सुरक्षित ऋण / उधार				
आ) असुरक्षित ऋण / उधार				
5. वैधानिक दायित्वः				
अ) अतिदेय				
आ) अन्य टीडीएस 92 बी, 92 सी और जीएसटी-टीडीएस				
6. अन्य चालू देनदारियां	61,661.00	61,661.00		
कुल (अ)		61,661.00		
A. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	16,30,908.00			
5. व्यापार गारंटी / दावा				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
अ) वेतन देय (अनुबंध- । के अनुसार)	42,76,026.00			
आ) देय व्यय (अनुबंध- । के अनुसार)	77,12,567.00	1,36,19,501.00		
कुल (आ)		1,36,19,501.00		
कुल (अ+आ)		1,36,81,162.00		

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (3.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची - ४ अद्यता
संपत्तियाँ

राशि (रुपये में)

विवरण	सकल खंड				%	मूल्यहास			कुल खंड		
	साल / मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्यन <6 महीना	वर्ष के दौरान विलोपन >6 महीना	वर्ष के अंत में मूल्य / मूल्यांकन		वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कटौती पर	साल के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत तक
अ. अद्यता संपत्ति											
1.मूलि	-	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-
2.इमारतों	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.अस्पताल के उपकरण	-	23,900.00	1,36,271.00	-	1,60,171.00	15	-	13,805.00	13,805.00	1,46,366.00	-
4.वाहनों	-	-	10,20,896.00	-	10,20,896.00	30	-	1,53,134.00	1,53,134.00	8,67,762.00	-
5.सामान तथा जोड़ा गया उपकरण,	-	-	9,62,273.00	-	9,62,273.00	10	-	48,114.00	48,114.00	9,14,159.00	-
6.दफ्तर के उपकरण	-	20,650.00	6,57,417.00	-	6,78,067.00	15	-	52,404.00	52,404.00	6,25,663.00	-
7.कंप्यूटर सहायक उपकरण	-	-	14,56,290.00	-	14,56,290.00	40	-	2,91,258.00	2,91,258.00	11,65,032.00	-
8.पुस्तकालय की किताबें विद्युत अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निश्चित संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वर्ष का कुल	-	44,551.00	42,33,147.00	-	42,77,698.00	-	-	5,58,715.00	5,58,715.00	37,18,983.00	-
पिछला वर्ष											
पूँजी का कार्य प्रगति पर है	-	391305049.00	-	391305049.00	-	-	-	-	-	39,13,05,049.00	
कुल	-	-	-	-	395582747.00	-	-	-	-	39,50,24,032.00	

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक आग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

व्यौर	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 9 (निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश)		
1) सरकारी प्रतिभूतियों में 2) अन्य प्रतिभूति को मंजूरी 3) हिस्सा 4) डिबंचर और बांड 5) सहायक और संयुक्त उद्यम 6) अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	-	-
कुल	-	-
अनुसूची - 10 (अन्य निवेश)		
1) सरकारी प्रतिभूतियों में 2) अन्य प्रतिभूति को मंजूरी 3) हिस्सा 4) डिबंचर और बांड 5) सहायक और संयुक्त उद्यम 6) अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	-	-
कुल	-	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक आग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

व्यौरे	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्तियां, क्रृष्ण, अग्रिम आदि)				
A. वर्तमान संपत्तियां				
1. सूची				
अ) भंडार और पुर्जा	5,00,108.00			
आ) ढीले उपकरण	-			
इ. बिक्री के लिए माल	-			
खत्म माल	-			
कार्य जारी है	-			
कच्चा माल	-	5,00,108.00	-	
2. विविध देनदार				
अ) एक अवधि के लिए बकाया क्रृष्ण	-			
छह महीने से अधिक	-			
आ) अन्य	-			
3. हाथ में नकदी रुपये				
(चेक / ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)				
4. बैंक बैलेंस:				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
-चालू खातों पर				
एस.बी.आई.- 38040069713	51,231.00			
एसबीआई चालू खाता-37836546058	16,86,59,223.81			
केनरा बैंक एस्क्रो खाता	10,00,000.00			
-जमा खातों पर				
जिसमें लाभ शामिल है)				
बचत खातों पर				
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:		16,97,10,454.81		
-चालू खातों पर				
-जमा खातों पर				
-बचत खातों पर				
5. डाकघर- बचत खाते				
कुल (अ)		17,02,10,562.81		

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

व्यौरे	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि				
A) अग्रिम ऋण और अन्य संपत्ति				
1. ऋण				
अ) कर्मचारी				
आ) अन्य संस्थाएँ गतिविधियों में लगी हुई हैं/ इकाई के समान उद्देश्य				
इ) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
2. अग्रिम या अन्य राशियां नकद या किस्त में या मूल्य के लिए प्राप्त की जा सकती हैं				
अ) पूँजी खाता पर				
आ) पूर्वभुगतान				
इ) अन्य (बीएसएनएल को अग्रिम)				
ई) अन्य (एचएससीसी के लिए अग्रिम)	18,623.00	8,15,40,704.00	8,15,59,327.00	
3. अर्जित आय:				
अ) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर				
आ) निवेश-सीएलटीडी ब्याज पर	14,69,982.00			
इ) ऋण और अग्रिम पर				
ई) अन्य (अधोषित रूप से आय शामिल हैं-रु में.....)		14,69,982.00		
4. प्राप्य का मांग				
5. टीसीएस				
6. सीएलटीडी ब्याज पर टीडीएस	10,209.00	1,68,262.00	1,78,471.00	
कुल (आ)			8,32,07,780.00	
कुल (अ+आ)			25,34,18,342.81	

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)			
31.03.2019 को आय एवं व्यय लेखा के एक भाग के रूप में अनुसूची			राशि (रुपये में)
व्यौरे	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	
<u>अनुसूची - 12</u> (बिक्री / सेवाओं से आय)			
1. बिक्री से आय अ) तैयार माल की बिक्री आ) कच्चे माल की बिक्री इ) स्कैप की बिक्री		-	-
2. सेवाओं से आय अ) पंजीकरण शुल्क और लैब परीक्षण शुल्क आ) प्रोफेशनल / परामर्श शुल्क इ) एजेंसी आयोग और दलाली ई) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / संपत्ति) 3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	13,58,570.00	-	-
कुल	13,58,570.00	-	-
<u>अनुसूची- 13</u> (अनुदान / सब्सिडी) (अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्त हुई)			
1. केंद्र सरकार - अ) अनुदान में सहायता (वेतन के लिए) आ) अनुदान में सहायता (सामान्य के लिए) इ) अनुदान सहायता (पूँजीगत संपत्ति के सृजन पर मूल्यहास)	3,26,46,143.00 1,94,79,683.19 5,58,715.00		
2. राज्य सरकार			
3. सरकारी संस्थाएं पीजीआई चण्डीगढ़	-		
4. संस्थान / कल्याण निकाय	-		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		
कुल	5,26,84,541.19	-	-
<u>अनुसूची- 14</u> (शुल्क/अंशदान)			
1. प्रवेश शुल्क	-		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-		
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-		
4. परामर्श शुल्क	-		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		
कुल	-	-	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

व्यौरे	चिह्नित पूँजी से निवेश		निवेश- अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
<u>अनुसूची- 15</u> (निवेश से आय)				
1. द्व्याज अ. सरकारी प्रतिभूतियों पर आ. अन्य बांड / डिब्बेचर पर	-	-	-	-
2. लाभांश अ. शेयरों पर आ. म्यूचुअल फंड प्रतिभूति पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				

<u>अनुसूची- 16</u> (राजसी, प्रकाशन आदि से आय)	-	-	-	-
1. राजसी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

दिवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची- 17 <u>(अंजित ब्याज)</u>				
1. सावधि पर जमा				
अ) अनुसूची बैंक के साथ				
i) प्राप्त ब्याज	44,017.00			
ii) अंजित ब्याज	16,38,244.00			
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-			
इ) संस्थानों के साथ	-			
ई) अन्य	-	16,82,261.00	-	
2. बचत बैंक खाते पर				
अ) अनुसूची बैंक के साथ	-			
आ) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-			
इ) संस्थानों के साथ	-			
ई) अन्य	-			
3. कृष्ण पर				
अ) कर्मचारी/ स्टाफ	-			
आ) अन्य	-			
4. देनदार और अन्य प्राप्त्य पर ब्याज				
कुल		16,82,261.00		
अनुसूची- 18 <u>(अन्य आय)</u>				
अ) जमानत पत्र वसुली	4,00,000.00			
आ) निविदा शुल्क	11,500.00			
इ) गेस्ट हाउस का किराया	2,700.00			
ई) लाइसेंस शुल्क	1,77,902.00			
उ) विविध आय	500.00	5,92,602.00		
कुल		5,92,602.00		

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को आय एवं व्यय लेखा के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची- 19 (तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी और कार्य प्रगति पर)				
अ. आखरी बचा हुआ माल				
खत्म माल	-		-	
कार्य प्रगति पर है	-		-	
आ. कम: अथ शेष माल				
खत्म माल	-		-	
कार्य प्रगति पर है	-		-	
कुल वृद्धि / (कमी) [अ-आ]		-		-
अनुसूची- 20 (स्थापना व्यय)				
अ. वेतन और मजदूरी		2,81,53,723.00		-
आ. भत्ता और बोनस		20,19,902.00		-
इ. नियोक्ता योगदान (एनपीएस)		-		-
ई. अन्य निधियों का योगदान (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. कर्मचारी कल्याण व्यय		-		-
कु. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय		-		-
ऋ. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
1) 20.5 टीए / एलटीसी स्थानांतरण		1,05,006.00		-
2) 20.7 चिकित्सा प्रतिपूर्ति		84,020.00		-
3) 20.10 अधिगम संसाधन भत्ता		6,32,898.00		-
4) 20.11 समाचार पत्र भत्ता		19,686.00		-
5) हुद्दी भुनाने का प्रावधान		16,30,908.00		-
कुल		3,26,46,143.00		

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प.)

31.03.2019 को आय एवं व्यय लेखा के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

विवरण	0	पूर्व वर्ष
	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची - 21		
आ) आतिथ्य व्यय		
21.अ.1 ड्रग्स और ड्रेसिंग	3,82,494.00	
21.अ.2 एक्स-रे फिल्म्स	4,28,702.00	
21.अ.3. सर्जिकल आइटम	1,74,641.00	
21.अ.5. रासायनिक आइटम	6,07,339.00	
21.अ.6. कांच के बने पदार्थ / प्लास्टिक के बर्तन	66,156.00	
21.अ.7. चिकित्सा गैसों	24,780.00	
21.अ.8. कपड़े धोने और सीएसएसडी	2,533.00	
21.अ.9. अस्पताल का उपभोग्य	7,18,736.00	
आ) प्रशासनिक व्यय आदि		
21.आ.1 यात्रा व्यय	3,52,633.00	
21.आ.1.आ यात्रा व्यय-सम्मेलन	94,185.00	
21.आ.2 स्थानीय परिवहन / वाहन व्यय	2,85,404.00	
21.आ.3.1 विद्युत और बिजली बिल	47,38,747.00	
21.आ.3.2 विद्युत और बिजली -डीजी सेट इंधन	5,88,820.00	
21.आ.5 टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च	23,75,115.00	
21.आ.7 छपाई और स्टेशनरी	2,01,737.00	
21.आ.8 वैधानिक पंजीकरण व्यय	10,07,600.00	
21.आ.9 बायोमेडिकल अपशिष्ट व्यय	1,12,006.00	
21.आ.10 आउटसोर्स मैनपावर	91,97,408.00	
21.आ.11 सामान्य उपभोग्य स्टोर	1,500.00	
21.आ.12 मरम्मत और रखरखाव (विद्युत)	35,110.00	
21.आ.13 मरम्मत और रखरखाव (सिविल)	2,21,915.00	
21.आ.15.1 डाक	2,008.00	
21.आ.15.2 विजापन और प्रचार खर्च	12,05,039.00	
21.आ.16 संकाय और स्टाफ ई की भर्ती	21,000.00	
21.आ.17 अन्य विविध	52,188.19	
21.आ.18 गेस्ट हाउस का खर्च	91,119.00	
21.आ.19 आईटी सॉफ्टवेयर और परिधीय	1,24,201.00	
कुल	2,31,13,116.19	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.)

31.03.2019 को आय एवं व्यय लेखा के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि (रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	(रुपये)	(रुपये)
अनुसूची- 22		
(अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय)		
अ. संस्थान / संगठन को दिया गया अनुदान		
आ. संस्थान / संगठन को दी जाने वाली सब्सिडी		
कुल	-	-
अनुसूची- 23		
(लाभ)		
अ. निश्चित ऋण पर	-	-
आ. अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
इ. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प.)

अनुबंध - ।

प्रावधान (अनुसूची 7. बी का हिस्सा)

राशि (रुपये में)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	शेष राशि 31.03.2019 के अनुसार	शेष राशि 31.03.2018 के अनुसार
1	छुट्टी भुनाना	-	1630908.00
2	वेतन देय	-	4276026.00
3	व्यय देय		
	बिजली का बिल	870420.00	-
	आउटसोर्स मैनपावर	2604878.00	-
	स्थानीय परिवहन / वाहन व्यय	125901.00	-
	टेलीफोन और इंटरनेट	61564.00	-
	बायो मेडिकल अपशिष्ट का खर्च	10000.00	-
	एनएसडीएल एनपीएस	4039804.00	7712567.00
	कुल	13619501.00	0.00

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

अनुसूची-24

परिचय:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) की स्थापना के लिए 13 अगस्त 2013 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। ऐस्स, रायबरेली की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही सहमत 148 एकड़ भूमि में से 97 एकड़ भूमि को हस्तांतरित कर दिया।

पी.जी.आई चंडीगढ़ ऐस्स, रायबरेली का संरक्षक संस्थान है और यहां अस्थायी ओ.पी.डी. 13 अगस्त 2018 से शुरू की गई है।

1. लेखा अभियान

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के लेखा विभाग की पुस्तकों का रखरखाव लेखांकन के आकस्मिक आधार पर किया गया है।

2. सूची मूल्यांकन

संस्थान की वस्तुसूची अर्थात् भंडार और पूर्जों के उपभोग्य सामग्रियों (रसायन, कांच के बने पदार्थ और स्टेशनरी) इत्यादि के कीमत का मूल्यांकन किया गया है।

3. स्थाई परिसंपत्तियां

3.1 स्थाई परिसंपत्तियां अधिग्रहण की ऐतिहासिक लागत, आवक माल ढुलाई, कर्तव्यों और करों को शामिल करने और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्चों पर शुरू किए जाते हैं। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-परिचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित) पूंजीकृत पूंजीगत मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

3.2 गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस फंड की ओर के अलावा) के माध्यम से प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियों को पूंजीगत रिजर्व के लिए इसी क्रेडिट द्वारा शुरू किए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यांकन

4.1 इबल्यू.डी.वी. के अनुसार लेखा विभाग की पुस्तकों में मूल्यांकन प्रदान किया गया है। निर्दिष्ट तरीके और दरें आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार हैं।

4.2 वर्ष के दौरान संपत्तियों को जोड़ने / हटाने के संबंध में, दर के आधे हिस्से पर शुल्क लिया जाता है, जहां जोड़ / विलोपन छह महीने से कम होता है और जहां अवधि छह महीने से अधिक हो जाती है वहाँ मूल्यांकन की पूरी दर वसूल की जाती है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारी को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान की गणना की जाती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि कर्मचारी प्रति वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करता है।

स्थान: रायबरेली

दिनांक: 29.06.2019

(विशाल कुमार)
लेखाधिकारी

(कुमार अभ्य, आईएएस)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. जगत राम)
निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

अनुसूची - 25

1. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के पास कोई भी दावों, बैंक प्रत्याभूति, ऋण पत्र, बिल छूट विवादित मांग आदि के प्रति कोई आकस्मिक देनदारियां नहीं हैं।

2. अनुदान में सहायता

सरकारी अनुदान का वसूली के आधार पर हिसाब लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पीएमएसएसवाई विभाग से 21.46 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। कुल अनुदान रुपये में से 12.00 करोड़ रुपये जी.आई.ए. वेतन के तहत, 3.96 करोड़ रुपये जी.आई.ए. जनरल के तहत और 5.50 करोड़ रुपये जी.आई.ए.-पूँजी के तहत प्राप्त हुए। (अनुसूची 3 देखें)

3. निवेश और जमा

चालू खाता में उपलब्ध निधि को कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (डीएल.टी.डी.) प्रणाली में रखा जाता है।

4. अर्जित ब्याज, लेकिन अदेय

31.03.2019 के अनुसार ब्याज अर्जित हुआ लेकिन एफडीआरएस पर 14,69,982.00 रुपये अदेय है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर उचित आय के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

6. व्यय देय

31.03.2019 के अनुसार 1,36,19,501.00 रुपए की देय राशि के लिए प्रावधान किया गया है। (अनुसूची 7 (आ) देखें)

7. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम को वास्तविक लेनदेन के आधार पर तुलन-पत्र में बताया गया है।

8. अंशदायी भविष्य निधि खाता (नई पेंशन योजना)

सन्दर्भ संख्या 1 (13) / ईवी / 2001 दिनांक 13 नवम्बर 2003 के अनुसार, संस्थान नई पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। तदनुसार, संस्थान ने पीआर.ए.ओ./डीओ सं. नियोक्ता और कर्मचारी योगदान के नियमित बयान के लिए आवेदन किया है। देय ब्याज का हिसाब लेखा किताबों में नहीं होता है।

सुरक्षित ऋण और उधार

- हेफा द्वारा संबंधित 525 करोड़ रुपए का टर्म लोन संदर्भ सं. एसएएन / एम्स/रायबरेली/338 / 2018-19 दिनांक 08/01/2019, हेफा और एम्स, रायबरेली के बीच दिनांक 18/02/2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 5 मार्च 2019 को एचएससीसी पर 4 करोड़ रुपये की हेफा टर्म लोन की पहली किस्त जारी की गई। हेफा ऋण पर ब्याज राशि रुपये 28,45,753.00 है और इसे लेखांकन मानक -16 के अनुसार कार्य-प्रगति पर माना गया है।

2. सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारियों को लाभ

अवकाश नकदीकरण के लिए देयता को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एक आकस्मिक आधार प्रदान किया गया है। अवकाश नकदीकरण प्रावधान में कुल राशि 16,30,908.00 रुपये है। कर्मचारी के लिए जीआईएस योजना प्रक्रियाधीन है और अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है और इसे शासी निकाय में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. पूँजी निधि (दान आदि)

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, दान के रूप में शून्य रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. विदेशी मुद्रा लेनदेन

वर्ष के दौरान संस्थान ने किसी भी विदेशी मुद्रा लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

5. स्थाई परिसंपत्तियाँ

मंत्रालय द्वारा निष्पादित पूँजीगत परिसंपत्तियों / निर्माण कार्य को खातों के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त होने पर पूँजीकृत किया जाएगा।

6. उत्तर प्रदेश की सरकार ने 97 एकड़ जमीन आवंटित की है और इसे 1.00 रु. आरक्षित निधि (स्कीम-2) (1) बनाते समय निर्धारित मूल्य (अनुसूची-8) में दिखाया गया है।
7. 31.03.2019 के अनुसार अनुसूची 1 से 25 तक शेष राशि तुलन-पत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और उस वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता उसी दिनांक को समाप्त हो जाता है।

स्थान: रायबरेली

दिनांक: 29/06/2019

(विशाल कुमार)

लेखाधिकारी

(कुमार अभय, आईएस)

वित्तीय सलाहकार

(प्रो. जगत राम)

निदेशक

त्वरितडाक

कार्यालय प्रधाननिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय प्रयागराज
“सत्यनिष्ठा भवन” 15-ए, दयानन्द मार्ग, प्रयागराज

पत्र संख्या : प्र.नि.ले.प. (केन्द्रीय) / पृ.ले.प.- / 2019-20 /

दिनांक : 01.2020

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
उच्च शिक्षा विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-19 के लेखों पर आधारित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-19 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) तथा वार्षिक लेखे की प्रति अग्रसारित की जा रही है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ-साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र संख्या : प्र.नि.ले.प. (केन्द्रीय) / पृ.ले.प.- 49/2019-20/176. दिनांक : 23 01.2020

वर्ष 2018-19 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, मुंशीगंज, रायबरेली-229405 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित होना चाहिए :

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

हिनदर अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)



AO/AIIMS, M
3.2.2020
File Audit Report

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के लेखा विभाग के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग-अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (संस्थान) की संलग्न तुलन-पत्र 31 मार्च 2019 के अनुसार आय और व्यय, उपार्जित और प्राप्तियां तथा भुगतान खाता का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम (कर्तव्यों, शक्तियाँ और कर्तव्य की शर्त) 19 (2) के तहत, एम्स अधिनियम, 1956 (संशोधित 2012) की धारा 18 (2) के आधार पर उस समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधक की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण के संबंध में केवल उपचार, सर्वोत्तम लेखा अभ्यासों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप अभियोग उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, तो निरीक्षण प्रतिवेदन / सीएजी की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदन की जाती है।
3. हमने अपना लेखा परीक्षा आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय वक्तव्यों में मात्रा और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले सबूत शामिल हैं। लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि:
 - (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे जान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा था;
 - (ii) तुलन-पत्र, आय और व्यय खाते तथा रसीदें और भुगतान खाते इस प्रतिवेदन के साथ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
 - (iii) हमारी राय में, एम्स अधिनियम 1956 (संशोधन 2012) की धारा 18 (1) के तहत आवश्यक सभी प्रकार के खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की उचित पुस्तकों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली द्वारा बनाए रखा गया है।

(iv) हम आगे बताते हैं कि :

(अ) सहायता अनुदान

संस्थान को वर्ष 2018-19 के दौरान 21.46 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। शेष राशि और 0.36 करोड़ रुपये की विविध आय के संलग्न से उपलब्ध कुल धनराशि 21.82 करोड़ हो गई। संस्थान ने 31 मार्च 2019 तक 15.82 करोड़ रुपये की शेष राशि को छोड़कर 6 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया।

(आ) प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें विवादास्पद /सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया है।


(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम प्रतिवेदन करते हैं कि तुलन-पत्र, आय और व्यय, जमा और रसीद तथा इस खाते के द्वारा किए गए भुगतान लेखा विभाग की खातों के साथ अनुबंध में हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों पर एक साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन होते हैं और इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामले भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं;

(अ) अब तक यह सभी मामलों की स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली की तुलन-पत्र 31 मार्च 2019 तक से संबंधित है और

(आ) अब तक, यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए न तो घाटे और न ही अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से


प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 22.01.2020

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित नहीं किया गया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अनुमोदित शक्ति के खिलाफ रिक्तियों की पूर्ति न करने की विशेषता है (101 स्वीकृत पद के विरुद्ध विभिन्न श्रेणियों के केवल 70 पद भरे गए थे।)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के निदेशक, उप निदेशक और वित्तीय सलाहकार भी एम्स, रायबरेली के संबंधित पद को धारण करते हैं।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2018-19 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2018-19 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

वैधानिक देय राशि के भुगतान में संस्थान नियमित है।

उप निदेशक (सी.ई.)